उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 22 वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 22 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.08.2019 को बोर्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री आनन्द वर्द्धन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री कृष्ण कुमार मिश्र, सचिव, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण।
7. श्री आर.ए.सिंह, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
8. श्री ए0आर0 जोशी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
9. श्री उदय सिंह राणा, नगर निगम, हरिद्वार।
10. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन–प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्य सूची सं0 22.1	बोर्ड की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय
19.0	बोर्ड की 19 वीं बैठक में बिन्दु सं0 19.1 के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पी0सी0आर0आई0 द्वारा बनायी गयी फाइनल रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण अलग से बोर्ड सदस्यों की बैठक बुलाकर किया जाये।	पी0सी0आर0आई0 हरिद्वार द्वारा देहरादून एवं हरिद्वार शहरों हेतु कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया।
20.11	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तकनीकी परामर्श दाती समिति (Technical Advisory Committee) के गठन के सम्बन्ध में।	सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि तकनीकी परामर्श दाती समिति का गठन जल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा तकनीकी परामर्श दाती समिति के गठन के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान करते हुये अध्यक्ष, बोर्ड को समिति के सदस्यों के रूप में किन–किन को सम्मिलित किया जाना है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
21.2	होटल उद्योग, धर्मशालाओं एवं आश्रमों के सहमति शुल्क के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि बोर्ड स्तर से समस्त विकास प्राधिकरणों को यह निर्देश दिया जाये कि उनके द्वारा होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों के निर्माण सम्बन्धी

Scanned by CamScanner

		मानचित्र स्वीकृत करते समय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने की शर्त रखी जाये। बोर्ड द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाये कि होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों से स्थापनार्थ सहमति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करते समय सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न की गयी है अथवा नहीं, का परीक्षण करना सुनिश्चित् करें।
कार्य सूची सं0 22.2	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 का बजट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	वर्ष 2018–19 का बजट ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ वित्त नियंत्रक के माध्यम से अध्यक्ष बोर्ड को अनुमोदन करने हेतु अधिकृत किया गया है। वर्ष 2019–20 के बजट के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित बजट वित्त नियंत्रक के माध्यम से प्राप्त करते हुए बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि : 1. आगामी बोर्ड बैठक में ऑडिटेड बैलेंस शीट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित् किया जाये। 2. अगामी वर्षों का बजट जनवरी/फरवरी तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित् किया जाये।
कार्य सूची सं0 22.3	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा काशीपुर व ऋषिकेश (Non-attainment cities) हेतु बनायी गयी कार्ययोजना पर अनुमोदन के क्रम में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (01 in each city) and 02 additional Manual Ambient Air Quality Stations की स्थापना तथा उक्त दोनों शहरों हेतु Source Apportionment Studies कराये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य हेतु 02 अवर अभियंता बोर्ड के स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति/उपनल के माध्यम से आबद्ध किया जाये।
कार्य सूची सं0 22.4	National Clean Air Program के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी एवं रूद्रपुर में जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त Manual Ambient Air Quality Stations and Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations की स्थापना के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निम्न संशोधनों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया :– 1. Manual Ambient Air Quality Stations में प्रस्तावित अतिरिक्त 08 स्टेशनों के साथ–साथ कोटद्वार में भी 01 Manual Ambient Air Quality Station स्थापित किया जाये। 2. Continuous Ambient Air Quality

Scanned by CamScanner

		Monitoring Stations की स्थापना का कार्य Non-attainment cities (Rishikesh & Kashipur) के साथ–साथ देहरादून शहर में शुरूवाती तौर पर 01 CAAQMS की स्थापना का कार्य किया जाये।
कार्य सूची सं0 22.5	बोर्ड के स्वयं के संसाधनों से जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त 50 जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र बढ़ाये जाने व तत्क्रम में मानव संसाधन आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि आगामी बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा की जा रही जल/वायु गुणवत्ता के Time Series Data का प्रस्तुतिकरण किया जाये।
कार्य सूची सं0 22.6	उत्तराखण्ड राज्य के सभी मुख्य औद्योगिक अस्थानों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से Base line data बनाये जाने के सम्बन्ध में।	इस बिन्दू पर बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता नहीं है। कार्य सूची में प्रस्तावित कार्य बोर्ड के नियमित कार्यों में सम्मलित है। इस कार्य बिन्दू पर बोर्ड अध्यक्ष से अनुमोदोपरान्त कार्यवाही की जाये।
कार्य सूची सं0 22.7	बोर्ड द्वारा शहरी विकास विभाग को Material Recovery Centre तथा Plastic compactors हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी धनराशि के सापेक्ष की गयी प्रगति आख्या सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष रखा जाये।
कार्य सूची सं0 22.8	पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के शहरों की रैकिंग किये जाने व उत्कृष्ट 03 शहरों को पुरूस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बोर्ड द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित कार्य हेतु विस्तृत प्रस्ताव बनाकर बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाये एवं उनसे अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
कार्य सूची सं0 22.9	बोर्ड हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत ढांचे में मुख्य पर्यावरण अधिकारी के वेतनमान को वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान से उच्चीकृत करने व वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी के 04 पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।	यह निर्णय हुआ कि सम्बन्धित प्रस्ताव पर पृथक से वित्त नियंत्रक के माध्यम से अध्यक्ष बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
कार्य सूची सं0 22.10	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।	यह निर्णय हुआ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विभिन्न कारकों को निम्नानुसार रखा जाये :– 1. Pollution Index में जल/वायु/परिसंकटमय अपशिष्ट तीनों ही कारक सम्मलित है अतः प्रत्येक कारक के Violation के आधार पर Pollution Index निर्धारित किया जाये। 2. Rupees factor को Variable factor के स्थान

Scanned by CamScanner

		पर Fixed value के रूप में रखा जाये। 3. एक अतिरिक्त कारक को जोड़ा जाये जो कि इस सिद्धान्त पर आधारित हो– उद्योग द्वारा उत्प्रवाह बिना उपचारित किये ही निस्तारित किया जा रहा है अथवा नहीं/उद्योग द्वारा उपयुक्त एवं पर्याप्त उपचार सुविधा स्थापित है अथवा नहीं/उद्योग द्वारा लगायी गयी उपचार सुविधा पर्याप्त होने के बावजूद उद्योग द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं/इत्यादि। उक्त पर कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव अध्यक्ष, बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। वर्तमान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बनाये गये दिशा–निर्देश के आधार पर कार्यवाही की जाये। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन न होने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये दिशा–निर्देश जिस पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा (मूल आवेदन सं0–710/2017 दिनांक 15.07.2019 का आदेश) सभी राज्यों को तद्नुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है, को यथावत् अपनाया जाये।
कार्य सूची सं0 22.11	पी0सी0आर0आई0 हरिद्वार द्वारा देहरादून व हरिद्वार शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु बनायी गयी कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण।	पी0सी0आर0आई0 हरिद्वार द्वारा देहरादून एवं हरिद्वार शहरों हेतु कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। बोर्ड द्वारा उक्त कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि पी0सी0आर0आई0 को उक्त कार्य का लम्बित भुगतान किया जाये। इसके साथ–साथ अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया, कि पी0सी0आर0आई0, हरिद्वार की रिपोर्ट के सारांश सम्बन्धित विभागों में भी परिचालित किया जाये।
कार्य सूची सं0 22.12	बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित उद्योगों को बोर्ड द्वारा सहमति शुल्क में निर्धारित समयवाधि हेतु शिथिलिता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन से पूर्व राज्य में स्थापित व संचालित सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के उद्योगों (As defined under MSME Act) जिनके द्वारा किन्हीं कारणवश बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति व संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है, को 31.03.2019 तक का सहमति शुल्क में शत प्रतिशत छूट दी जाती है। उपरोक्त उद्योगों से वर्ष 2019–20 से संचालनार्थ सहमति शुल्क प्राप्त किया जाये।

Scanned by CamScanner

		बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि यह छूट उपरोक्त उद्योगों को 31.12.2019 तक के लिए ही मान्य होगी, अर्थात् उपरोक्त उद्योगों को 31.12.2019 तक बोर्ड के समक्ष संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन करना होगा। उक्त अवधि को संचालनार्थ सहमति हेतु बोर्ड में आवेदन न करने की स्थिति में बोर्ड द्वारा प्रचलित व्यवस्था के अनुसार पूर्ण सहमति शुल्क प्राप्त किया जायेगा।
कार्य सूची सं0 22.13	बोर्ड में नियमित रूप से कार्यरत वाहन चालकों को शासन की व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष में 01 माह के मानदेय की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 22.14	राज्य में स्थापित हरित श्रेणी के उद्योगों को संचालनार्थ सहमति व प्राधिकार का auto renewal किये जाने के सम्बन्ध में Post facto Approval प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एवं नारंगी/लाल श्रेणी के उद्योगों का संचालनार्थ सहमति व प्राधिकार सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण Third Party Inspection के माध्यम से किये जाने का अनुमोदन करने के सम्बन्ध मे।	बोर्ड द्वारा हरित श्रेणी के उद्योगों को संचालनार्थ सहमति व प्राधिकार का auto renewal किये जाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। नारंगी/लाल श्रेणी के उद्योगों को संचालनार्थ सहमति व प्राधिकार सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण Third Party Inspection के माध्यम से किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि Third Party Inspection की दशा में उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्धारित 01 वर्ष के सहमति शुल्क में 25% की शिथिलता प्रदान की जायेगी।
कार्य सूची सं0 22.15	बोर्ड में द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 22.16.1	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अधिसूचना के अन्तर्गत जन सूनवाई हेतु शुल्क के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा जन सुनवाई शुल्क की धनराशि रू0 75,000 से बढ़ाकर रू0 1.00 लाख किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 22.16.2	राज्य में अवैध रूप से खनन के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु Criteria निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से खनन के कारण हुयी पर्यावरणीय क्षति हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का Criteria निर्धारण कर अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

अनुमोदित

(आनन्द बर्द्धन)
अध्यक्ष

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION &
POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

यू0ई0पी0पी0सी0बी0 / एच0ओ0 / 22वीं बो0बै0 / सा0–06 / 2019 दिनांक – 09.2019

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री कृष्ण कुमार मिश्र, सचिव, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण।
5. श्री आर.ए.सिंह, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
6. श्री ए0आर0 जोशी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
7. श्री उदय सिंह राणा, नगर निगम, हरिद्वार।
8. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन–प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।
9. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner